
अध्याय—3

चुनावी राजनीति

याद रखने योग्य बातें :-

- लोकतंत्र में जनमत की बहुत अहम भूमिका होती है उसके आधार पर सरकारों का गठन होता है।
- भारत में जनता प्रत्येक पांच वर्ष में अपने प्रतिनिधि चुनती है जो नीति निर्माण का कार्य करते हैं।
- हर पांच साल के बाद— 'आम चुनाव', निश्चित समय से पूर्व लोकसभा या विधानसभा के भंग होने पर – मध्यावधि चुनाव और किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए – 'उपचुनाव' होता है।
- चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बाँट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं।
- लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 79 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित हैं।
- क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक है।
- मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) कहते हैं।
- 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं। यानी मतदान की योग्यता रखते हैं।
- भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है जिसे चुनाव आयोग कहते हैं।
- चुनावी नारे : गरीबी हटाओ—इंदिरा गाँधी, लोकतंत्र बचाओ—जनता पार्टी, जमीन जीतने वाले को वामपंथी दल, तेलुगु स्वाभिमान—तेलुगु देशम पार्टी।

1 अंक वाले प्रश्न :-

1. निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं?
2. लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं?
3. लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
4. लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं।
5. लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया?
6. क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है?
7. क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है?
8. मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) किसे कहते हैं?
9. किस नेता ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया?
10. मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं?
11. हमारे देश में मतदान की योग्यता की क्या आयु निर्धारित है?
12. लोकतंत्र बचाओ का नारा किस ने दिया?

लघु/दीर्घ प्रश्न (3/5 अंक)

1. लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या हैं?
2. आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है?
3. राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न चुनाव प्रचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
4. भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
5. आदर्श चुनाव संहिता क्या है? इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं?
6. चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती?
7. भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं?
8. भारतीय चुनाव आयोग के सामने कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं?
9. निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तरमाला

1 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर :-

1. चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बाँट लिया गया है, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं।
2. 543
3. 79
4. 41
5. चौधरी देवी लाल।
6. लद्दाख
7. चांदनी चौक।
8. मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूचि को मतदाता सूचि (वोटर लिस्ट) कहते हैं।
9. इंदिरा गाँधी।
10. निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं।
11. 18 वर्ष।
12. जनता पार्टी ने।

लघु/दीर्घ प्रश्नों के उत्तर :-

1. लोकतान्त्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें :-
 - हर किसी को मताधिकार।
 - चुनावों में विकल्प उपलब्ध।
 - चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर।
 - वास्तविक चुनाव।
 - स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
2. आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर :-
 - पांच साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता

है, लोकसभा और विधानसभाएँ भंग हो जाती हैं, फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव 'आम चुनाव' कहलाता है।

- किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव 'उपचुनाव' कहलाता है।

3. चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन :-

- पोस्टर लगाना।
- सभाएं करना।
- भाषण देना।
- जुलूस निकालना।
- घर-घर जा कर मुलाकात करना।

4. चुनाव आयोग की व्यवस्था

- चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना।
- सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण।
- मतदाताओं के लिए पहचान पत्र।
- चुनाव याचिका का जल्द निपटारा।
- चुनाव में धन-बल के प्रयोग की जाँच।

5. चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। मुख्य प्रावधान:-

- चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा।
- चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा।

6. चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित काम नहीं कर सकती :-

- मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी।
- जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना।
- चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल।

-
- लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा खर्च ।
 - चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग ।
7. भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार :
- चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन ।
 - आदर्श चुनाव संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दण्डित करना ।
 - चुनावों के दौरान सरकार को दिशा-निर्देश मानने का आदेश देना ।
 - सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम-काज लेना ।
 - जिन मतदान केन्द्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव करवाना ।
8. भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ :-
- ज्यादा रुपये-पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीकों पर रोकथाम ।
 - अपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना ।
 - पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम ।
 - मतदाता को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध करना ।
 - छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा ।
- 9.
- चुनाव की घोषणा ।
 - प्रत्याशियों का चयन
 - नामांकन पत्र भरना ।
 - चुनाव, चिन्हों का आबंटन
 - राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना ।
 - चुनाव अभियान
 - मतदान
 - मतों की गणना
 - परिणामों की घोषणा ।
-